

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, हि0 प्र0 द्वारा प्रदेश में अनुबन्ध के आधार पर शास्त्री के रिक्त पदों को भरने हेतु बैचवार आधार पर काउन्सलिंग प्रक्रिया सभी जिलों के उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालयों में दिनांक 17 से 18 नवम्बर 2023 तक निर्धारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हर एक उम्मीदवार जो निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करता है वह बारह जिलों में से किसी भी जिले में भर्ती करने हेतु पात्र है। अतः जो भी इच्छुक अभ्यर्थी उक्त काउन्सलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है वह दिनांक 17 से 18 नवम्बर 2023 को सुबह 11 बजे अपने गृह जिला उप-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालय में काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो सकता है। कोई भी अभ्यर्थी अन्य जिले में काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता है। एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को अपने गृह जिला में ही काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है तथा उन्हें अपने गृह जिला में ही समस्त बारह जिलों की प्राथमिकताएं देनी हैं। अन्तिम मैरिट सूची निदेशालय स्तर पर तैयार की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को मैरिट एवं उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति के लिए जिलों का निर्धारण किया जाएगा।

जिलावार एवं श्रेणीवार रिक्तियों का ब्यौरा

Name of District	GEN	EWS	GEN WFF	OBC	OBC (BPL)	OBC (WFF)	SC	SC (BPL)	ST	ST (BPL)	Total
Hamirpur	0	3	0	2	2	0	3	0	1	0	11
Kangra	18	7	2	10	1	0	13	0	1	0	52
Kinnaur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Kullu	5	1	0	2	0	0	1	0	0	0	9
Mandi	22	7	0	9	2	1	11	3	3	1	59
Shimla	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	4
Sirmour	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
Solan	12	4	0	4	1	0	7	1	1	1	31
Una	8	3	0	3	1	1	4	1	1	0	22
Total	70	26	2	32	7	2	40	5	7	2	193

सभी जिलों हेतु श्रेणीवार बैच का ब्यौरा जहां तक सभी जिलों में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है:-

GEN	EWS	GEN WFF	OBC	OBC (BPL)	OBC (WFF)	SC	SC (BPL)	ST	ST (BPL)
31.12.2006	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2009	31.12.2008	Up to date	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2007	31.12.2008

अतः जो अभ्यर्थी R&P Rules तथा अब तक जारी की गई NCTE की अधिसूचनाओं के तहत योग्य है वे उक्त काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यताओं, आयु सीमा, वेतनमान, वर्तमान में भर्ती हेतु विचाराधीन बैच, विभिन्न प्रमाण पत्र जो काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत करने हैं इत्यादि से सम्बन्धित अन्य विस्तृत जानकारी निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा व समस्त जिला के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय की बैचसाइट पर उपलब्ध है।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सम्पादक / सम्पादक, अमर उजाला / दिव्य हिमाचल / पंजाब केसरी / ट्रिब्यून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त विज्ञापन को अपने दैनिक समाचार पत्र में उस पृष्ठ पर प्रकाशित करें जो राज्य स्तर (State wide circulation) पर प्रसारित हो।
2. रक्षक नस्ति।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

11 OCT 2023

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश